(8)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला

जिला रीवा म०प्र०

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

R. 3806-III/14

729
22.X.14

रामसजीवन रजक तनय हीरामणि रजक निवासी ग्रामसखौहा, तह० व जिला सिंगरौली म०प्र० ---------- ----- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1- धर्मजीत तनय कालू धोबी

2-रामविसुन तनय कालूधोबीदोनों निवासीगण ग्राम सखौहा, तह० व जिला सिंगरौलीम०प्र० ---------- गैरनिगराकारगण

श्री..अशोक कुमार साहू एड के द्वारा आज दिनांक..22.X.14 प्रस्तुत किया गया
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3491
~~रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा~~ आज
दिनांक 22.10.14 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट 22.10.14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक29/ अपील/ 13-14 दिनांक 20-6-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र०भूराजस्व संहितासन 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत होनेसे निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि विवादित आराजी खसरा क्र० 1298/0-12है० 705 रकबा 0-10है० 706 रकबा 0-01है० 708/ रकबा0-07 है० 1284/ रकबा 0-04है० 1079/ रकबा0-04है०का 1/24 हिस्सा एवम आ० न० 1991/1 रकबा0-01है० 1961/ रकबा 05 है० किता 2 रकबा 0-06है० का 1/2 हिस्सा तथा2543/

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3806–तीन/2014 जिला सिंगरौली

रामसजीवन विरूद्ध धर्मजीत आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के प्रकरण कमांक 29/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में तहसीलदार द्वारा नामांतरण प्रकरण में किए गए आदेश के विरूद्ध प्रतिप्रार्थी द्वारा की गई अपील में प्रतिप्रार्थी द्वारा साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी का यह आदेश त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य उपरान्त आदेश किया गया था। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। निगरानी प्रकरण एवं अधीनस्थ तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने वसीयतनामे के आधार पर तहसीलदार द्वारा किये गये नामांतरण आदेश के विरूद्ध अपील में साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं। दिनांक 30–12–2011 को भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 49(3) में हुये संशोधन	

अनुसार –

''पक्षकारों को सुनने के पश्चात, अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझेः

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को, निपटाने के लए प्रतिप्रेषित नहीं करेगाः''

संहिता की धारा 49 में किए गए उक्त संशोधन उपरान्त अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी स्वतः प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों अथवा यदि अन्य साक्ष्यों को लेने की आवश्यकता समझे तो अतिरिक्त साक्ष्य लेकर निर्णय ले सकता है। दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20–6–14 में कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य